

प्रेषक,

वलराम प्रसाद,
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार पटना;

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
राभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/S Green Kaiketsu Automotive India Pvt.Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- **Green Kaiketsu Automotive India Pvt.Ltd.** के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जॉइ एजेन्सी CIRT, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सं०- **RAKB 0138 /13-01-2016** की अभिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Variant	Types of Vehicle	EX -Showroom Price
1	UNIQUE	UNIQUE	E Rickshaw L5M	Rs. 1,15,000/-
		DECUMAN	E Cart- L5N	Rs. 1,12,000/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्राधान्यों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जॉच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोटोटाइप का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदारी आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जॉच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करा को वसूली सुनिश्चित करेगा तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेगा कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र एवं ह एड उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 संडयूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का विक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

दिनांक

.....

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापक

.....

प्रतिनिधि - Authorised Signatory: For Green Kaiketsu Automotive India Pvt.Ltd. 245, Plot No-P2, Khasra No- 771/523, Durgapuri Extension, Shahdara, Delhi-110093 का सूचनाार्थ प्रेषित।

ह० / -

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापक 6019

पत्र संख्या 4110176

प्रतिनिधि State Informatic Officer, NIC, Patna का रूप में सूचना में सूचना प्रेषित कि Vahan Software का Master Box में इस मॉडल की प्रमाणित प्रति है। ✓ AT Manager, परिवहन विभाग, बिहार पटना का सूचनाार्थ प्रेषित। कागजात का प्रेषित।

.....